न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

मि0न0 –52/2021(2021/218)

अनवान : –

फणेश कुमार पुत्र भगवानाराम उर्फ बागाराम जाति ब्राहमण निवासी घेउ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ –प्रार्थी

बनाम

राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा। – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपरिथति :–श्री महेश कुमार बंसल प्रार्थी
पेरोकार राज अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 20/9/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा गांव घेउ पटवार हल्का घेउ भू.अभि. क्षेत्र घेउ तहसील भादरा के खाता संख्या 223/217 के मु.नं. 116 की 0.3160 हैक्टर खसरा सं. 118 की 0.4550 हैक्टर खसरा संख्या 140 की 0.5190 हैक्टर कुल खसरा 3 की कुल क्षेत्रफल 1.2900 हैक्टर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में शामिल खाते की कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा प्रार्थी के नाम कृषि भूमी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

ऊपर वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम गणेश वल्द भगवानाराम दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम फणेश वल्द भगवानाराम है। प्रार्थी के आधार कार्ड एवं जमाबंदी गांव घेउ सम्वत् 2075–78 खाता सं. 376/175 में एवं अन्य प्रस्तुत दस्तावेज में फणेश नाम से ही है। प्रार्थी का सभी दस्तावेजों में नाम फणेश पुत्र भगवानाराम ही दर्ज है।

उक्त भूल सद्भावी है। उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम गणेश वल्द भगवानाराम की जगह फणेश वल्द भगवानाराम करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया।

हस्तगत प्रार्थना पत्र रोही मौजा गांव घेउ पटवार हल्का घेउ भू.अभि. क्षेत्र घेउ तहसील भादरा के खाता संख्या 223/217 के मु.नं. 116 की 0.3160 हैक्टर खसरा सं. 118 की 0. 4550 हैक्टर खसरा संख्या 140 की 0.5190 हैक्टर कुल खसरा 3 की कुल क्षेत्रफल 1.2900 हैक्टर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में शामिल खाते की कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा प्रार्थी के नाम कृषि भूमी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम दर्ज करते समय संवहन से फणेश की जगह गणेश पुत्र भगवानाराम दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी का सही नाम फणेश पुत्र भगवानाराम है। प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र साबित करने के लिए साक्ष्य में सभी दस्तावेज पेश किये एवं तहसीलदार भादरा से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो फणेश पुत्र भगवानाराम नाम से ही है। इस प्रकार प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अत : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा गांव घेउ पटवार हल्का घेउ भू.अभि. क्षेत्र घेउ तहसील भादरा के खाता संख्या 223/217 के मु.नं. 116 की 0.3160 हैक्टर खसरा सं. 118 की 0.4550 हैक्टर खसरा संख्या 140 की 0.5190 हैक्टर कुल खसरा 3 की कुल क्षेत्रफल 1.2900 हैक्टर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में शामिल खाते की कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी का सही नाम **गणेश पुत्र भगवानाराम की जगह फणेश पुत्र भगवानाराम** दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच गणेश के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में गणेश के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए भी गणेश नाम ही प्रभावी माना जावेगा। तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छिपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/9/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(शकुंतला)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
भादरा जिला हनुमानगढ़